राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 83

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 1 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

घसियाली पिच पर हनुमा विहारी ने संभाला मोर्चा

>> 14

सरोकार

केले के तने से बना पैड 121 बार कर सकेंगी इस्तेमाल

नई दिल्ली : इस ईको फ्रेंडली सैनेटरी पैड को 121 बार या दो साल तक इस्तेमाल

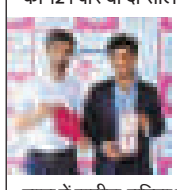

किया जा सकता है। इसकी कीमत भी महज 199 रुपये है। जबकि सब्सिडीयुक्त सामान्य पैड पर दो साल में ग्रामीण महिलाओं को करीब 1800 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। (पेज-10)

रविवार विशेष

एक-एक ईंट मांगकर खड़े कर दिए चार शहीद स्मारक

कुरुक्षेत्र : कहानी कुरुक्षेत्र, हरियाणा के साधारण किसान संजीव राणा की, जिन्होंने

शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनाने के लिए 'एक ईंट शहीद के नाम' अभियान शुरू किया। संजीव की मुहिम से प्रेरित होकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें बुलाया और एक ईंट भेंट की। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पर 100 करोड़ का जुर्माना लगा

मुंबई : महाराष्ट्र में धुले जिले की सत्र अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्रियों सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर और 46 अन्य को करोड़ों रुपये के 'घरकुल' आवासीय घोटाले में दोषी ठहराया है। सुरेश जैन पर सात साल की सजा के साथ-साथ 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

धुले की केमिकल फैक्ट्री में धमाके, 13 की मौत

मुंबई : महाराष्ट्र के धुले जिले में शनिवार की सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में रखे गैस सिलेंडरों में हुए धमाकों में छह महिलाओं समेत 13 कर्मचारियों की मौत हो गई और 64 अन्य घायल हो गये। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मृतक आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

चालू वित्त वर्ष में 6.5 फीसद ग्रोथ रेट का अनुमान : देबरॉय

नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून अवधि में जीडीपी की ग्रोथ रेट भले ही घटकर पांच फीसद पर आ गई हो, लेकिन आने वाली तिमाहियों में इसके सुधरने की पूरी उम्मीद है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के चेयरमैन बिबेक देबरॉय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही की अपेक्षा दूसरी छमाही में ग्रोथ रेट अधिक रहेगी।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

वीजा चाहने वालों पर और कड़ी नजर रखेगा अमेरिका

वाशिंगटन : ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी वीजा, ग्रीन कार्ड और नागरिकता चाहने वाले विदेशी नागरिकों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स खोलने का फैसला लिया है। इसके जरिये अधिकारी अब सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों के अकाउंट्स की निगरानी कर सकेंगे। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग की ओर से गत जुलाई में निजता संबंधी मामलों की समीक्षा की गई थी।

असम में 19 लाख लोग नागरिकता सूची से बाहर

मैराथन कवायद ▶ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तैयार हुई राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची जारी, नाम देखने के लिए उमड़ी भीड़

राज्य में हाई अलर्ट, कई जगहों पर धारा 144 लागू, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम की बहुप्रतीक्षित 'राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर' (एनआरसी) की अंतिम सूची शनिवार सुबह दस बजे जारी कर दी गई। इसमें राज्य के 19,06,657 लोगों के नाम शामिल नहीं हैं। 1970 के बाद से असम में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने के चलते इस रजिस्टर को अपडेट करने की मांग उठ रही थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सूची को अपडेट करने का काम शुरू हुआ और 31 अगस्त, 2019 को अंतिम सूची जारी कर दी गई। इस काम के लिए करीब 52 हजार अधिकारियों ने छह करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों की पड़ताल की। पूर्व में जारी सूची में 40 लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गए थे।

शनिवार सुबह जैसे ही एनआरसी सूची जारी होने की सूचना मिली, राज्य के हजारों लोग एनआरसी सेवा केंद्रों पर लगी सूचियों में अपने नाम तलाशने उमड़ पड़े। कई लोग सूची में अपना नाम देखकर खुश थे तो कुछ ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर सूची में नाम नहीं होने की निराशा साफ झलक रही थी। सूची से बाहर रह गए 19 लाख लोगों के भविष्य पर अभी तलवार लटकी हुई है। उन्हें अपनी नागरिकता प्रमाणित करने और सूची में नाम जुड़वाने के लिए 120 दिन का समय दिया जाएगा। सूची जारी होने के बाद असंतोष भड़कने की आशंका को देखते हुए राज्य में जबर्दस्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। गुवाहाटी व दिसपुर समेत कई हिस्सों में धारा 144 लगाई गई है। राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 20,000 से ज्यादा जवानों को यहां तैनात किया गया है। फिलहाल कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है।

असम में एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने के बाद मोरीगांव के एक केंद्र पर नाम देखती महिलाएं। प्रेट्र

अभी हिरासत में नहीं लिया जाएगा : असम सरकार ने फिलहाल अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों को राहत दी है। राज्य सरकार का कहना है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को फिलहाल हिरासत में नहीं लिया जाएगा। जो लोग एनआरसी की सूची में शामिल होने से वंचित रह गए हैं, उन्हें ट्रिब्यूनलों द्वारा विदेशी नागरिक घोषित किए जाने तक किसी भी हालत में हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

हालात पर केंद्र की नजर : एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने के बाद केंद्र सरकार राज्य के हालात पर करीबी से नजर रख रही है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हालात संभालने के लिए सभी जरूरी व्यवस्था की गई है। कानून एवं व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक-दूसरे के लगातार संपर्क में हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न होने पाए।

कोई खुश नहीं : अपडेट एनआरसी को लेकर रोचक बात यह है कि राज्य में कांग्रेस, भाजपा जैसे राजनीतिक दल व अन्य तमाम संगठन अंतिम सूची से असंतुष्ट हैं। कुछ का मानना है कि इसमें कई असली नागरिकों के नाम बाहर रह गए हैं, जबकि घुसपैठियों के नाम शामिल कर लिए गए हैं। 1985 के असम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले संगठनों में से एक ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। संगठन का कहना है कि सूची से बाहर रह गए लोगों की संख्या बहुत कम है। आसू के राजनीतिक संगठन राज्य सरकार में शामिल असम गण परिषद (अगप) ने भी सूची को अपर्याप्त बताया है और सुधार की जरूरत बताई है।

उम्मीदें अभी बाकी हैं : अंतिम सूची में जिनका नाम नहीं है उन्हें 120 दिन का वक्त दिया गया है। ऐसे लोग विभिन्न फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी नागरिकता का प्रमाण दे सकते हैं। ट्रिब्यूनल के फैसले से असंतुष्ट रहने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प रहेगा।

अंतिम सूची से भाजपा नाराज पेज>>5

आंकड़ों पर एक नजर

- **3,30,27,661** लोगों ने किया था सूची में नाम शामिल करने का आवेदन
- **3,11,21,004** को किया शामिल
- **19,06,657** लोग रह गए बाहर

अंतिम ड्राफ्ट से अंतिम सूची तक का सफर

- **30 जुलाई, 2018 को एनआरसी ने अंतिम ड्राफ्ट जारी किया था। उसमें 40 लाख से ज्यादा लोगों के नाम शामिल नहीं थे**
- **जून, 2019 तक और छानबीन करने के बाद 1,02,462 लोगों के नाम और बाहर किए गए**
- **इस तरह कुल मिलाकर 41,10,169 बाहर अंतिम ड्राफ्ट से बाहर किए थे**
- **31 अगस्त, 2019 को जारी अंतिम सूची में 19,06,657 नाम बाहर किए गए**
- **यानी अंतिम ड्राफ्ट की तुलना में अंतिम सूची बनने तक 22,03,512 नाम शामिल कर लिए गए**

बाहर हो गए कुछ बड़े नाम

- एआइयूडीएफ के विधायक अनंत कुमार मालो का नाम सूची में नहीं है
- दो बार विधायक रहे अताउर रहमान मजारभूयां का नाम भी सूची से बाहर
- कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे पूर्व सैन्य अधिकारी सनाउल्ला भी सूची में नहीं

क्या है अपडेट एनआरसी?

असम में एनआरसी की व्यवस्था 1951 से है। इसमें वहां के सभी नागरिकों का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अब इसे अपडेट किया गया है।

क्यों है अपडेट एनआरसी?

राज्य में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित करने के उद्देश्य से इसे अपडेट किया गया है। माना जाता है कि 1970 के बाद से यहां लाखों बांग्लादेशी आए हैं।

क्या कहते हैं विरोधी?

विरोधी इसे राजनीतिक पहल मान रहे हैं। कई लोग इसे मुस्लिमों के खिलाफ उठाया गया कदम साबित करने में लगे हैं। उनका तर्क है कि इससे अफरा-तफरी मचेगी।

एटमी युद्ध का राग छोड़ पाकिस्तान ने की भारत से बातचीत की पेशकश

- **पाक विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा-कश्मीर मुद्दे पर युद्ध कोई विकल्प नहीं**
- **बोले-परमाणु हथियार वाले पड़ोसी देश परमाणु युद्ध का खतरा नहीं उठा सकते**

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के भारत को परमाणु हमले की दोबारा धमकी देने के एक ही दिन बाद बदहाल पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। पैंतरा बदलते हुए पड़ोसी मुल्क के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत से बातचीत करने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर युद्ध कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान भारत के साथ सशर्त बातचीत के लिए तैयार है।

कुरैशी ने शनिवार को बीबीसी उर्दू में प्रकाशित एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी आक्रामक नीति नहीं अपनाई और हमेशा शांति को तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसी देश युद्ध का खतरा नहीं उठा सकते हैं। कश्मीर मुद्दे से निपटने के लिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को न्यूयार्क टाइम्स के एक आलेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर विश्व ने कश्मीर पर भारत के फैसले को रोकने

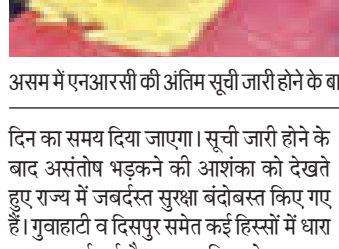

शाह महमूद कुरैशी। फाइल

के लिए कुछ नहीं किया तो दोनों परमाणु हथियार वाले देश युद्ध की राह पर आ जाएंगे। तब खान ने भारत पर आरोप लगाया था कि उनके शांति बहाल करने के लिए बातचीत के सभी प्रयास ठुकरा दिए गए हैं। इसके बाद ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकवाद और हिंसा मुक्त माहौल में पाकिस्तान के साथ सभी अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत करना चाहता है। ध्यान रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय तनाव बढ़ गया जब पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद ने विगत 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती हमला करके सीआरपीएफ के 40 जवानों की हत्या कर दी।

इसके बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को गुलाम कश्मीर समेत पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश आतंकियों के प्रशिक्षण शिविरों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। इसके बाद विगत पांच अगस्त को भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बौखलाया पाकिस्तान पूरी दुनिया में कश्मीर मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कहीं भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही है।

लंदन में बलूचों ने किया पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन पेज>>13

सिख युवती से जबरन निकाह के मामले में पाक पर बढ़ा दबाव, 10 और लोग हिरासत में

- **पुलिस ने युवती के घर पहुंचने का दावा किया, उसके भाई ने नकारा**
- **पीड़िता ने जान का खतरा बताते हुए घर लौटने से किया इन्कार**

लाहौर, एजेंसियां : सिख युवती से जबरन निकाह मामले में पाकिस्तान भारत और सिख समुदाय के जबर्दस्त दबाव में है। लिहाजा पाकिस्तान सरकार और पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। शनिवार को पुलिस ने इस मामले में 10 और लोगों को हिरासत में ले लिया, ये लोग सिख युवती से निकाह करने वाले मुस्लिम युवक मुहम्मद हसन के रिश्तेदार और दोस्त हैं। इससे पहले पुलिस ने हसन के दोस्त अर्सलान को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले में सिख समुदाय की नाराजगी भरी प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।

दरअसल, ननकाना साहिब के एक गुरुद्वारे में ग्रंथी ने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री जगजीत कौर का कुछ लोगों ने बंदूक की दम पर अपहरण कर लिया है और उसका जबरन निकाह कराया गया है। जिसके बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें लड़की ने दावा किया कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करके हसन से निकाह किया है। इसके बाद पाकिस्तान में सिख समुदाय आक्रोशित हो गया। इसकी प्रतिक्रिया भारत में भी देखने को मिली और उन्होंने भारत सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया। जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सरकार से अपनी चिंताएं साझा कीं। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब लाहौर में शनिवार से तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सिख सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

इस क्रम में शनिवार को ननकाना साहिब पुलिस ने दावा किया कि जगजीत कौर अपने माता-पिता के पास पहुंच गई है। लेकिन जगजीत के भाई सुरेंद्र सिंह ने पुलिस के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनकी बहन अभी तक घर नहीं लौटी है। उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान और पंजाब प्रांत के गवर्नर मुहम्मद सरवर से उनके साथ न्याय करने के लिए कहा। इस बीच, मुहम्मद सरवर ने आश्रय स्थल जाकर जगजीत कौर से मुलाकात की और उससे घर लौटने की अपील की। जगजीत को अदालत के आदेश पर शुक्रवार को आश्रय स्थल में भेज दिया गया था। सरवर ने जगजीत से कहा कि उसके निकाह से ननकाना साहिब में सिख और मुस्लिमों के बीच तनाव हो गया है। लेकिन जगजीत ने जान को खतरा बताते हुए घर लौटने से इन्कार कर दिया।

वहीं, जगजीत के परिवार वालों ने मांग की है कि पुलिस उसे घर लेकर आए, भले ही उसने मर्जी से या जबरन धर्मांतरण कर लिया हो। इस मांग के समर्थन में सिख समुदाय ने शनिवार को जमकर धरना प्रदर्शन भी किया। आक्रोशित सिख समुदाय से बातचीत करने के लिए पाकिस्तानी पंजाब सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति भी गठित की है। समिति ने जगजीत के परिवार वालों को समझाने की कोशिश की कि उसने अपनी मर्जी से निकाह किया है, लेकिन वे नहीं माने और अपनी मांग पर अड़े रहे।

सिख लड़की के जबरिया निकाह से बेनकाब हुआ पाकिस्तान पेज>>6

सुनंदा मामले में थरूर पर तय हों आरोप : पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- **कांग्रेस सांसद की बढ़ेंगी मुश्किलें, गवाह ने कहा-दोनों में हुआ था झगड़ा**
- **विशेष अदालत ने 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की सुनवाई**

वर्ष 2014 में हुई सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अपील की कि थरूर पर हत्या, दहेज उत्पीड़न या फिर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप तय किया जाए।

मामले में गवाह और थरूर दंपती की सहायिका के बयान को पढ़ते हुए वरिष्ठ लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि दंपती के बीच एक लड़की और ब्लैकबेरी मैसेज को लेकर झगड़ा हुआ था। मौत से पहले सुनंदा आइपीएल के मुद्दे को लेकर प्रेस कांफ्रेंस करना चाहती थीं और उन्होंने कहा था कि वह थरूर को नहीं छोड़ेंगी। गवाह ने बताया है कि सुनंदा के मरने से एक साल पहले तक दंपती के बीच बहुत झगड़ा होता था। सुनंदा व्यथित थीं और मानती थीं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी

कांग्रेस सांसद शशि थरूर। फाइल

से विश्वासघात हुआ है। थरूर के पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के साथ रिश्ते ने पुष्कर के मानसिक तनाव को और बढ़ा दिया था। अभियोजक ने पुष्कर की दोस्त और पत्रकार नलिनी सिंह के बयान पर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि दंपती के बीच तनावपूर्ण व खराब रिश्ता था। पोस्टमार्टम के अनुसार उनकी मौत जहर से हुई थी और पैर, हाथ और बांह की कलाई समेत उनके शरीर पर चोट के कई निशान थे। जिरह के दौरान थरूर के अधिवक्ता विकास पाहवा ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि अभियोजक के लगाए आरोप बेबुनियाद व निरर्थक हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने सुनवाई को 17 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया। आरोप पत्र के अनुसार इस अपराध के लिए कम से कम दस साल की सजा का प्रावधान है।

क्या है मामला : सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को दक्षिण दिल्ली स्थित एक पांच सितारा होटल के कमरे में मृत पाई गई थीं। दिल्ली पुलिस ने उनकी मौत के मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। हालांकि पिछले साल 14 मई को आरोप पत्र आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के तहत शशि थरूर के खिलाफ मामला दायर किया गया था। थरूर इस मामले में जमानत पर हैं।

आज से सलीके से सड़क पर गाड़ी निकालिए

नई दिल्ली : रविवार से सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल या कार लेकर निकलने वालों का अपेक्षाकृत सख्त नियमों से सामना होने वाला है। मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन संबंधी कई प्रावधान

रविवार से ही लागू हो रहे हैं। ऐसे में मोटर ड्राइविंग में मामूली सी असावधानी अब जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। खासतौर पर बच्चों को टू-व्हीलर चलाते देख खुश होने वाले पैरेंट्स को नए नियम बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने की स्थिति में 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। आयोग्य होने के बावजूद वाहन चलाने पर 10 हजार का जुर्माना देय होगा। ओवर स्पीडिंग के लिए दो हजार तक का फाइन भरना होगा। (पेज-12)

गंगा की सेहत पर भारी पड़ रहे हैं 'व्यावसायिक हित'

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

अविरल धारा

- **निर्धारित 'ई-फ्लो' की व्यवस्था के बावजूद पानी नहीं छोड़ रहीं कई हाइड्रोपावर कंपनियां**
- **जल आयोग की रिपोर्ट ने खोली पोल, नहीं हो रहा नियमों का पालन**

सरकार ने गंगा नदी की अविरल धारा के लिए पिछले साल 'ई-फ्लो' निर्धारित कर नियम बना दिए थे, लेकिन ऊपरी गंगा बेसिन में स्थित कई हाइड्रोपावर कंपनियां इनका पालन नहीं कर रही हैं। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की निगरानी और एक विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट से पता चला है कि ये कंपनियां अपने 'व्यावसायिक हितों' के चलते गंगा में जरूरी मात्रा में पानी नहीं छोड़ रही हैं। हाल यह है कि कई परियोजनाएं तो 'ई-फ्लो' की निगरानी के लिए समय पर आंकड़े तक भी नहीं भेज रही हैं।

सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी ने इस साल अप्रैल से जून के दौरान ऊपरी गंगा नदी बेसिन में 'ई-फ्लो' की निगरानी की तो पता चला कि चार परियोजनाओं ने अधिकांश समय पर 'ई-फ्लो' के अनिवार्य नियमों का पालन नहीं किया। नियमों का पालन न करने वाली परियोजनाओं में मानेरीभाली फेज-2, विष्णुप्रयाग एचईपी और श्रीनगर एचईपी शामिल हैं। मानेरीभाली फेज-1 और पशुलोक बैराज आंशिक रूप से 'ई-फ्लो' नियमों का पालन कर रहे हैं।

'ई-फ्लो' के तहत जिन मौजूदा परियोजनाओं में मानकों का पालन करते हुए जल छोड़ने की संरचना नहीं है, उन्हें तीन साल का समय दिया जाएगा ताकि वे संरचना में जरूरी बदलाव कर सकें। सभी मौजूदा परियोजनाओं की संरचना में निर्धारित 'ई-फ्लो' के हिसाब से पानी छोड़ने की सुविधा है और उनकी संरचना में किसी भी तरह का बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद कई परियोजनाएं 'ई-फ्लो' नियमों के अनुसार पानी नहीं छोड़ रही हैं। सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि टिहरी, भीमगौड़ा बैराज और कानपुर बैराज से निर्धारित फॉरमेट में 'ई-फ्लो' का डाटा नहीं मिल रहा है। अप्रैल से जून की अवधि में टिहरी और भीमगौड़ा परियोजनाओं से 'ई-फ्लो' के आंकड़े घंटे के आधार पर नहीं मिले।

हाइड्रोपावर कंपनियों से गंगा में इस तरह जाता है पानी। फाइल

क्या हैं 'ई-फ्लो' नियम

'ई-फ्लो' नियमों के मुताबिक ऊपरी गंगा नदी बेसिन में देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक नवंबर से मार्च के दौरान औसत मासिक प्रवाह का कम से कम 20 फीसद, अक्टूबर से अप्रैल-मई के दौरान 25 फीसद और जून से सितंबर तक 30 फीसद प्रवाह सुनिश्चित किया जाना है। वहीं हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा में पड़ने वाले चार बैराज- भीमगौड़ा, बिजनौर, नरौरा और कानपुर के लिए अक्टूबर से मई और जून से सितंबर की अवधि के लिए अलग-अलग 'ई-फ्लो' तय किए गए। मसलन, हरिद्वार के निकट भीमगौड़ा बैराज से आगे अक्टूबर से मई के दौरान कम से कम 36 क्यूमेक (घनमीटर प्रति सेकेंड) और जून से सितंबर के दौरान 57 क्यूमेक जल गंगा नदी की धारा में बनाए रखना होगा। इसी तरह बिजनौर, नरौरा और कानपुर में अक्टूबर से मई के दौरान कम से कम 24 क्यूमेक और जून से सितंबर के दौरान 48 क्यूमेक जल गंगा नदी में बनाए रखना होगा।

नए संकेत

आरएसएस प्रमुख भागवत और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के बीच अहम मुलाकात हुई है। बैठक के बाद भागवत ने कहा-संघ के हिंदुत्व का मतलब सभी धर्मों से है

भाईचारे के लिए साथ काम कर सकते हैं संघ और जमीयत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत से मुलाकात की है। यह मुलाकात शुक्रवार को नई दिल्ली के झंडेवालान स्थित संघ कार्यालय केशव कुंज में हुई। डेढ़ घंटे चली बैठक के बारे में संघ अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जमीयत की ओर से बताया गया कि मुलाकात में देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए साथ आकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया।

इस तरह की बैठक की पटकथा दो सालों से लिखी जा रही थी। आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने में जुटा राष्ट्रीय जनमंच इसके लिए प्रयासरत था। अब आगे संघ और जमीयत में नियमित संवाद के लिए समन्वय की जिम्मेदारी अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल को दी गई है, जो बैठक में भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान मदनी ने कहा कि देश में भय का माहौल गर्माता जा रहा है। भीड़ की हिंसा और तत्काल तीन तलाक को लेकर अल्पसंख्यक वर्ग में चिंता का माहौल है। एक बड़े समुदाय में भय पैदा कर देश का विकास नहीं हो सकता है। इसे दूर करने की जरूरत है। इस पर मोहन भागवत ने कहा कि संघ शुरू से मानता रहा है कि उसके हिंदुत्व का मतलब हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों से है। वह शांति और आपसी भाईचारे का हिमायती है, जिस पर मदनी ने बंद कमरों से बाहर निकलकर दोनों के मिलकर काम करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि करीब दो साल पहले भी मोहन भागवत ने दिल्ली में वरिष्ठ मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी। पिछले वर्ष विज्ञान भवन में आयोजित तीन दिवसीय 'भविष्य का भारत' व्याख्यानमाला में भागवत ने लोगों से खासकर मुस्लिम समुदाय से संघ को समझने के लिए करीब आने का आग्रह किया था। इस शीर्ष मुलाकात के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। यह इसलिए भी कि नवंबर माह में सुप्रीम कोर्ट से राममंदिर निर्माण पर फैसला आने का अनुमान है। वहीं, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 ए हटाने को लेकर देश के बाहर-भीतर सियासत गर्माई हुई है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मोहन भागवत से मुलाकात की। इस मौके पर संघ के सह संपर्क प्रमुख रामलाल भी मौजूद रहे। मदनी के साथ रामलाल। एएनआइ

कोलकाता पहुंचे आरएसएस प्रमुख

जासं, कोलकाता : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को चार दिवसीय प्रवास पर कोलकाता पहुंचे। बताया जा रहा है कि भागवत का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। वह सिर्फ सांगठनिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। भागवत का एक महीने के अंदर कोलकाता का यह दूसरा दौरा है। संघ के सूत्रों का कहना है कि वह तीन दिनों तक उत्तर और दक्षिण बंगाल के प्रचारकों के साथ संघ प्रमुख बैठक करेंगे। उधर, 7 से 9 सितंबर तक राजस्थान के पुष्कर में आयोजित आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यशाला में भागवत शामिल होंगे। इसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव राम माधव भी शामिल होंगे।